न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
280 / 2025	14 / 08 / 2025	07 / 01 / 2026

1. रेणू पत्नि सुरेश जाति महाजन निवासी एफ–142, आजाद मार्ग, सी–स्कीम जयपुर जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. मधु पत्नि मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी 723, बरकत नगर, टोंक रोड, जयपुर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 199 के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0253है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 1.3658है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3911है0 स्थित ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से तथा कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 17.11.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति दी।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नाकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
...धु पत्नी मोहनलाल हि0 1/2 जाति ब्राहमण सा0 ...723, बरकत नगर, टोक रोड जयपुर, रेणू पत्नी ...ुरेश हि0 1/2 जाति महाजन सा0 एफ–142 ...आजाद मार्ग सी–स्कीम जयपुर।	51 52	0.0253 1.3658	बा0 ए बा0 ए	–
योग	किता 2	1.3911	–	–

-: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
रेणू पत्नी सुरेश हि0 1/2 जाति महाजन सा0 एफ–142 आजाद मार्ग सी–स्कीम जयपुर।	52/1	0.6956	बा0 ए	–
योग	किता 1	0.6956	–	–
मधु पत्नी मोहनलाल हि0 1/2 जाति ब्राहमण सा0 723, बरकत नगर, टोक रोड जयपुर।	51 52/2	0.0253 0.6702	बा0 ए बा0 ए	–
योग	किता 1	0.6955	–	–

...क्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही ... एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के ... मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया ... अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

...र्णय आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

रेणू बनाम मधु वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 280/2025

आज मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
199	मधु पत्नी मोहनलाल हि0 1/2 जाति ब्राहमण सा0 723, बरकत नगर, टोक रोड जयपुर, रेणू पत्नी सुरेश हि0 1/2 जाति महाजन सा0 एफ–142 आजाद मार्ग सी–स्कीम जयपुर।	51 52	0.0253 1.3658	बा0 ए बा0 ए	–
	योग	किता 2	1.3911	–	–

–: प्रस्तावित :–

क0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	रेणू पत्नी सुरेश हि0 1/2 जाति महाजन सा0 एफ–142 आजाद मार्ग सी–स्कीम जयपुर।	52/1	0.6956	बा0 ए	–
	योग	किता 1	0.6956	–	–
2	मधु पत्नी मोहनलाल हि0 1/2 जाति ब्राहमण सा0 723, बरकत नगर, टोक रोड जयपुर।	51 52/2	0.0253 0.6702	बा0 ए बा0 ए	–
	योग	किता 1	0.6955	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नही करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/01/2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:– 280 / 2025

दायर दिनांक 14.08.2025

रेणू बनाम मधू वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 17.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री रामकरण शर्मा वकील वादीगण मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 199 के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0253है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 1.3658है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से व कब्जे को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 17/11/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner